

ब-न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0- 19/2021-22

बलराम टुडू बनाम् रैयान, मौजा-लकडहा

-: आदेश :-

02.09.2022

वर्तमान प्रधान बहाली की प्रक्रिया आवेदक बलराम टुडू, पे0-नरसिंह टुडू, सा0-लकडहा, थाना व अंचल-महागामा, जिला-गोड्डा के द्वारा मौजा-लकडहा नं0-558 मौजा खास होने पर प्रधानी बहाली हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है।


आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।


अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-543/रा0, दिनांक-14.03.2022 द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा प्रधानी मौजा नहीं है न ही इस मौजा में प्रधानी जोत भूमि है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक मौजा प्रधानी नहीं रहने के कारण आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


02.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


02.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Spes
11/11/22